प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.11.2024

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा आनलाइन सरिया खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी कर साइबर फ्रॉड करने वाला साइबर अभियुक्त नवादा, बिहार से गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 29 ए0टी0एम0 कार्ड्स बरामद

श्री सुभाष त्यागी से कूटरचित वेबसाइट के द्वारा जिन्दल स्टील का सरिया बेचने के नाम पर साइबर फ्रॉड करते हुए कुल 14,90,000/- रूपये की साइबर ठगी की घटना दिनांक 25.09.2024 को घटित हुई थी, जिसमें अभियुक्त गण द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट पर सरिया आर्डर JINDAL STEEL & POWER LIMITED का फर्जी बिल देकर वादी से ठगी की गई थी।

इस गैंग के छोटू उर्फ छोटेलाल पुत्र राधो चौधरी उर्फ घमंडी निवासी ग्राम पलनी थाना मानपुर जनपद नालन्दा बिहार, राजेश रंजन उर्फ अजय पुत्र बिजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम पलनी थाना मानपुर जनपद नालन्दा बिहार को दिनांक 12.11.2024 को समय करीब 14.45 बजे वारिसलीगंज क्षेत्र जिला नवादा बिहार से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरान्त ट्रांजिट रिमाण्ड पर इन अभियुक्तों को गाजियाबाद लाया गया। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित साव से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद हुआ था एवं अभियुक्त को दिनांक 15.10.2024 को कलकत्ता से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्तों से 1.77 लाख रुपये रिकवर किये गये।

अपराध कारित करने का तरीका

साइबर अपराधियों द्वारा आनलाइन TMT सरिया बेचने के लिये https://www.tmtsariyasupplier.in वेबसाइट बनाकर मोबाइल नं0 9062267046 वेबसाइट पर प्रदर्शित करते थे। आनलाइन सरिया सर्च करने पर यह वेबसाइट दिखती थी, पीड़ित द्वारा वेबसाइट पर मौजूद मोबाइल नम्बर पर काल करने पर अभियुक्त गण आनलाइन पेमेन्ट लेकर JINDAL STEEL & POWER LIMITED का फर्जी बिल बनाकर उसे भेज देते थे। सरिया डिलीवरी ना होने पर काल करने पर ये अपराधी जिन्दल स्टील में User Code बनाने के नाम पर और पैसे जमा करवाते थे, इसके बाद भी सरिया डिलीवर ना होने पर पीडित को उसके साथ हुई ठगी का पता चलता था।

इस घटना से सम्बन्धित मास्टर माइण्ड जो कि बिहार शरीफ जिला नालन्दा क्षेत्र से इस गैंग को संचालित करते थे तथा साइबर फ्रॉड कर ठगे गये पैसे को नालन्दा, नवादा तथा पटना क्षेत्र से एटीएम से निकाल लेते थे।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त छोटू उर्फ छोटेलाल तथा राजेश रंजन उर्फ अजय ने पूछताछ पर बताया कि वो लोग आनलाइन वेबसाइट बनाने वाले लोगों से सम्पर्क कर साइबर अपराध के लिये वेबसाइट बनवाते थे तथा इस वेबसाइट को गूगल पर विज्ञापन चलवाकर इसे प्राथमिकता पर रखते थे। पीड़ित जब गूगल पर आनलाइन सरिया सर्च करता

था तो यह वेबसाइट टाप पर आती थी। इस वेबसाइट पर जो मोबाइल नम्बर प्रदर्शित होता था उस पर पीड़ित द्वारा काल करने पर पीड़ित से सरिया के आर्डर के नाम पर पैसे जमा करवा लेते थे। आनलाइन TMT सरिया का आर्डर लेने के बाद अभियुक्त पीड़ित को JINDAL STEEL & POWER LIMITED की कूटरचित रसीद बनाकर उसके व्हाट्सअप पर भेजते थे, इससे पीड़ित को इन अपराधियों पर विश्वास हो जाता था। इस गैंग के लोग गलत नाम पते के सिम प्राप्त कर बिहार के नालन्दा जिले तथा कलकत्ता के विभिन्न क्षेत्र से इस अपराध को अंजाम दे रहे थे। अभियुक्त छोटू उर्फ छोटेलाल चौधरी इसके पहले भी दिल्ली तथा सोनीपत से साइबर अपराध में जेल जा चुका है। इसके द्वारा कोविड के समय में आक्सीजन सिलेण्डर बेचने के नाम पर तथा पतंजलि योगपीठ में भर्ती के नाम पर लोगों से साइबर धोखाधड़ी की गई थी। यह भी प्रकाश में आया कि छोटू उर्फ छोटेलाल चौधरी ने साइबर अपराध कर काफी सम्पत्ति अर्जित कर ली है तथा वारिसलीगंज जिला नवादा बिहार में इसने एक मॉल भी खोला है। अभियुक्त राजेश रंजन उर्फ अजय प्रसाद साइबर अपराध के द्वारा खातों में ट्रांसफर की गई धनराशि को एटीएम से निकालता था तथा 15 प्रतिशत कमीशन लेकर गैंग के छोटू उर्फ छोटेलाल, विकास तथा चन्दन को दे देता था। राजेश रंजन उर्फ अजय प्रसाद की एटीएम से पैसे निकालते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगाकर गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. छोटू उर्फ छोटेलाल पुत्र राधो चौधरी उर्फ घमंडी निवासी ग्राम पलनी थाना मानपुर जनपद नालन्दा बिहार उम्र - 28 वर्ष, शिक्षा – BA
2. राजेश रंजन उर्फ अजय पुत्र बिजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम पलनी थाना मानपुर जनपद नालन्दा बिहार उम्र - 25 वर्ष, शिक्षा – 10 वीं

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 29 एटीएम कार्ड्स।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त छोटू उर्फ छोटेलाल के विरुध्द दिल्ली में साइबर अपराध के 3 मुकदमे तथा सोनीपत हरियाणा में 1 मुकदमा पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

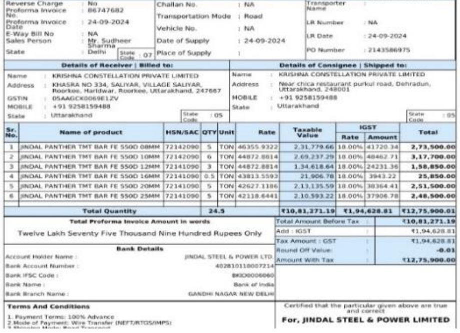

JINDAL STEEL & POWER LIMITED
12, Bhikaji Cama Place, Bhikaji Cama Place, Bhikaji Cama Place, New Delhi, Bhikaji Cama Place, Delhi, 110066,
+91 9564314854,
info@jindalsteel.com
GSTIN : 07AAACJ7097D1ZI
PAN No: AAACJ7097D

PROFORMA INVOICE

Original for Recipient / Duplicate for Transporter / Triplicate for Supplier

Reverse Charge	No	Challan No.	NA	Transporter Name	
Proforma Invoice No.	86747682	Transportation Mode	Road	LR Number	NA
Proforma Invoice Date	24-09-2024	Vehicle No.	NA	LR Date	24-09-2024
E-Way Bill No	NA	Date of Supply	24-09-2024	PO Number	2143586975
Sales Person	Mr. Sudheer Sharma	Place of Supply			
State	Delhi (State Code: 07)				

Details of Receiver | Billed to:		Details of Consignee | Shipped to:	
Name	KRISHNA CONSTELLATION PRIVATE LIMITED	Name	KRISHNA CONSTELLATION PRIVATE LIMITED
Address	KHASRA NO 334, SALIYAR, VILLAGE SALIYAR, Roorkee, Haridwar, Roorkee, Uttarakhand, 247667	Address	Near chica restaurant purkul road, Dehradun, Uttarakhand, 248001
GSTIN	05AAGCK0069E1ZV	MOBILE	+91 9258159488
MOBILE	+91 9258159488	State	Uttarakhand (State Code: 05)
State	Uttarakhand (State Code: 05)		

Sr. No.	Name of product	HSN/SAC	QTY	Unit	Rate	Taxable Value	IGST Rate	IGST Amount	Total
1	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 08MM	72142090	5	TON	46355.9322	2,31,779.66	18.00%	41720.34	2,73,500.00
2	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 10MM	72142090	6	TON	44872.8814	2,69,237.29	18.00%	48462.71	3,17,700.00
3	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 12MM	72141090	3	TON	44872.8814	1,34,618.64	18.00%	24231.36	1,58,850.00
4	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 16MM	72141090	0.5	TON	43813.5593	21,906.78	18.00%	3943.22	25,850.00
5	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 20MM	72141090	5	TON	42627.1186	2,13,135.59	18.00%	38364.41	2,51,500.00
6	JINDAL PANTHER TMT BAR FE 550D 25MM	72141090	5	TON	42118.6441	2,10,593.22	18.00%	37906.78	2,48,500.00
	Total Quantity		24.5			₹10,81,271.19		₹1,94,628.81	₹12,75,900.01

Total Proforma Invoice Amount in words
Twelve Lakh Seventy Five Thousand Nine Hundred Rupees Only

Total Amount Before Tax	₹10,81,271.19
Add : IGST	₹1,94,628.81
Tax Amount : GST	₹1,94,628.81
Round Off Value	-0.01
Amount With Tax	₹12,75,900.00

Bank Details

Account Holder Name :	JINDAL STEEL & POWER LTD.
Bank Account Number :	402810110007214
Bank IFSC Code :	BKID0006060
Bank Name :	Bank of India
Bank Branch Name :	GANDHI NAGAR NEW DELHI

Terms And Conditions
1. Payment Terms: 100% Advance
2. Mode of Payment: Wire Transfer (NEFT/RTGS/IMPS)

Certified that the particular given above are true and correct
For, JINDAL STEEL & POWER LIMITED

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.08.2024 को थाना वेव सिटी पर प्राप्त वादिया के प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त रवि, हर्ष व अन्य अज्ञात निवासी पंचशील कालोनी चिपियाना नोएडा द्वारा वादिया को वादिया के घर के बाहर से जबरदस्ती गाड़ी मे बैठाकर घुमाते रहना व रवि द्वारा वादिया के साथ छेड़छाड़ करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 02 टीमें गठित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 09.08.2024 को अभियुक्त 1. रवि यादव पुत्र जतन सिंह यादव निवासी म0नं0 ए-4 चिपियाना रोड़ थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष , 2. नितिन कुमार पुत्र रमेश चन्द्र निवासी जतन सिंह यादव के मकान में किराये दार म0नं0 ए-4 चिपियाना रोड़ थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष, 3. हर्ष चौधरी पुत्र प्रवेश चौधरी निवासी म0नं0 ए-14 पंचशील कॉलोनी चिपियाना रोड़ थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष, 4. रोहित यादव पुत्र ओमवीर यादव निवासी कमला हॉल के पास बिहारीपुरा थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। तत्पश्चात पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस के आधार पर अभियोग में बलात्संग की धारा की बढौतरी की गयी।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट के आधार पर अभियुक्त रवि यादव पुत्र जतन सिंह यादव निवासी पंचशील कालोनी, चिपयाना रोड, थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष को लालू स्वीट्स दुकान के पास बुलन्दशहर रोड पर से दिनांक 15.11.2024 को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

रवि यादव पुत्र जतन सिंह यादव नि0 पंचशील कालोनी, चिपयाना रोड, थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त रवि यादव उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 05.05.2024 को मैं अपने दोस्त हर्ष चौधरी, नितिन कुमार एवं रोहित यादव के साथ अपनी गाडी में एक लड़की को बैठाकर ले गये थे। जिसे हम लोगों ने गाड़ी में घुमाया फिर उसके कुछ समय बाद मैने अपने साथियों को गाडी से उतार दिया। फिर मैने उस लड़की के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। उसके बाद मैने उस लड़की को अपनी गाड़ी से उतार दिया था।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 29-10-24 को डा0 बी0के0 त्यागी निवासी आशियाना पाम कोर्ट रेजीडेन्सी ने थाने पर सूचना दी गयी कि कुछ अज्ञात चोरो द्वारा सोसायटी परिसर में बने मंदिर से दान पात्र व घंटिया, व माता रानी का अन्य सामान आदि चोरी कर लिया है, तथा कुछ दिन पहले भी एसीसी हाईट्स सासोयटी व एसजी ग्रेड अपार्मटमेन्ट सोसायटी

के मंदिरो से भी दान पात्र चोरी होने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी, जिनके संबंध में थाने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गये थे।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 16-11-24 को मुखबिर की सूचना पर हनुमान चौक के पास से, 03 शातिर चोरो को मय भिन्न भिन्न घटनाओ के चोरी के माल 01 लैपटाप lenovo ,01 एल सी डी ZEBSTER , एक म्यूजिक सिस्टम HARMAN, एक दानपात्र लोहा , माता रानी की 02 छोटी तलवार पीली धातु , 03 मंदिर की घंटी पीली धातु , 03 दीपक पीली धातु , 01 अगरवत्ती स्टैण्ड पीली धातु , एक हाथी पूजा का छोटा लोटा पीली धातु , एक छोटा लोटा तावा, 02 रुपये के 85 सिक्के, 01 रुपये के 152 सिक्के, 05 रुपये के 06 सिक्के, 10 रुपये के 05 सिक्के, 50 पैसे को 02 सिक्के, 20 रुपये का 01 नोट , 10 रुपये के 07 नोट कुल मूल्य 493 रुपये (मंदिर के दान पात्र से चोरी किये हुए) सहित गिरफ्तार किया गया। अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0गण का नाम व पता –

(1) रोहित पुत्र ईशदौर निवासी अटोर हाईवे मोरटी रोहित त्यागी के मकान मे किरायेदार थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम बंधुआ थाना लतेहार जनपद पलामू (झारखण्ड) उम्र 22 बर्ष

(2) ललित पुत्र ईशदौर निवासी अटोर हाईवे मोरटी रोहित त्यागी के मकान मे किरायेदार थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम बंधुआ थाना लतेहार जनपद पलामू (झारखण्ड) उम्र 24 बर्ष

(3) सुमित कुमार पुत्र राधेश्याम कुमार निवासी ब्रड़े मंदिर के पास ग्राम मोरटी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण ने बताया कि साहब हम तीनो लोग दोस्त है, और तीनो साथ बैठकर ही नशा करते है, नशा करने के लिए पैसो का जुगाड हम लोग चोरी चकारी से ही करते है , कुछ दिन पहले हमने तीन सोसायटीयो के मंदिर से दान पात्र व अन्य पूजा का सामान चोरी किया था, क्योंकि रात्रि में सोसायटी के मंदिर पर कोई रहता भी नही है तो चोरी करना आसान हो जाता है। तथा 3 दिन पहले रात्रि के समय राजनगर एक्स0 में एक वर्कशॉप से हम लोगो ने साथ मिलकर 01 लैपटाप lenovo ,01 एल सी डी ZEBSTER , एक म्यूजिक सिस्टम HARMAN का चोरी कर लिया था।

बरामदगी का विवरण-

1) 01 लैपटाप lenovo ,
2) 01 एल सी डी ZEBSTER ,
3) एक म्यूजिक सिस्टम HARMAN
4) एक दानपात्र लोहा , माता रानी की 02 छोटी तलवार पीली धातु ,
5) 03 मंदिर की घंटी पीली धातु , 03 दीपक पीली धातु , 01 अगरवत्ती स्टैण्ड पीली धातु ,
6) एक हाथी पूजा का छोटा लोटा पीली धातु , एक छोटा लोटा तावा,
7) 02 रुपये के 85 सिक्के, 01 रुपये के 152 सिक्के, 05 रुपये के 06 सिक्के, 10 रुपये के 05 सिक्के, 50 पैसे को 02 सिक्के, 20 रुपये का 01 नोट , 10 रुपये के 07 नोट कुल मूल्य 493 रुपये (दानपात्र से चोरी)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत हुई धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित आलाकत्ल 01 चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 15.11.2024 को थाना साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि अशोक लीलेण्ड कम्पनी चौकी क्षेत्र मोहननगर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पडा हुआ है, सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर मृतक के शव का मुआयना किया गया, मृतक के गले पर कट का एवं जानवरों द्वारा माँस को खाये जाने के निशान पाये गये, मृतक के शव का पंचायत नामा एवं अन्य विधिक कार्यवाही करायी गयी। मृतक अज्ञात के सम्बन्ध में आसपास के लोगों से जानकारी की गयी तो लोगो ने बताया कि मृतक व्यक्ति आस पास के स्थानो पर घूम फिर कर काफी समय से कबाड बीनने का काम करता है और इस व्यक्ति को आस पास के लोग सरदार के नाम से जानते हैं मृतक के पूरे नाम व पते की कोई जानकारी नही है, उक्त घटना के सम्बन्ध में उ0नि0 विपिन कुमार चौकी मोहननगर द्वारा एक लिखित तहरीर दी गयी जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तथा घटना के सफल अनावरण टीमों का गठन किया गया।

मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 16.11.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.सागर पुत्र राजपाल निवासी ग्राम जटपुरा थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 44 वर्ष 2.हरिओम पुत्र लाल सिंह निवासी राजीव कालोनी थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम कलंजरी थाना जानी जनपद मेरठ उम्र करीब 54 वर्ष को राजीव कालोनी से नागद्वार जाने वाले रास्ते के पास बन्द पडी रीन्च फैक्टी मोहननगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित आलाकत्ल 01 चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त सागर व हरिओम उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि कबाड बीनने वाला मृतक नाम पता अज्ञात (जिसे लोग केवल सरदार के नाम से जानते है) जिसके नाम एवं पूरे पते की कोई जानकारी नही है जो क्षेत्र में आसपास के स्थानों पर घूम फिर कर कबाड बीनने का काम करता था इसके साथी अभियुक्तगण सागर व हरिओम भी इसके साथ कबाड बीनने का कार्य करते थे अभियुक्त सागर अपनी झोपडी में एक महिला को पत्नी के रूप में अपने साथ रखता था, मृतक एवं दोनो अभियुक्तगण साथ में शराब पीते थे करीब 10 दिन पूर्व मृतक सरदार उपरोक्त ने सागर के साथ रहने वाली महिला को अपने साथ भी शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये कहा तो सागर इस बात को लेकर नाराज हो गया। दिनाँक 14/15.11.2024 की रात्रि को मृतक सरदार व दोनों अभियुक्तगण ने मिलकर शराब पी तथा मृतक सरदार के साथ मारपीट कर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः

1.सागर पुत्र राजपाल निवासी ग्राम जटपुरा थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 44 वर्ष
2.हरिओम पुत्र लाल सिंह नि0 राजीव कालौनी थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम कलंजरी थाना जॉनी जनपद मेरठ उम्र करीब 54 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित आलाकत्ल 01 चाकू बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा फायरिंग की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

दिनांक 14.11.2024 को थाना मोदीनगर पर आवेदक नितिश शर्मा पुत्र स्व. रामकिशोर शर्मा निवासी - ग्राम सीकरी कलाँ मोदीनगर कमिश्रेट गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि 14-15 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आये लगभग 20 अज्ञात लडकों द्वारा आवेदक को दुकान पर चीनी तोलते समय जान से मारने की नियत से हाथ में लिये हुए पिस्टल से गोली मारी गई जिससे आवेदक के हाथ में कुछ छर्रे लग गये। गाँव वालों के आ जाने पर अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए आवेदक की दुकान के काउंटर के शीशे क्षतिग्रस्त करते हुए अपनी 02 मोटरसाइकिल को वही पर छोडकर भाग गये । जिस पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.11.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अज्ञात लडकों में से 03 अभियुक्त क्रमशः 1- नवीन पुत्र राजेन्द्र कुमार उपाध्याय निवासी दायमपुर म.न. - 58 दिल्ली मेरठ बाईपास थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष 2- निखिल पुत्र संजीव निवासी मौहल्ला माडल टाउन म.न. 10 थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र 22 वर्ष 3- आदित्य उर्फ मोनू पुत्र रामेश्वर निवासी शिवलोक पुरी म.न. 486 अम्बेडकर रोड मॉडल टाउन के सामने कंकरखेडा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र 23 वर्ष को चैकिंग के दौरान मानकी बम्बा पटरी सीकरी गाँव के सामने से गिरफ्तार किया गया था।

दिनांक 15.11.2024 को ही समय 22.55 बजे मुकदमा उपरोक्त की घटना में फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी अमन ऑबराय पुत्र राजकुमार नि0 म0न0 454 महावीर जी नगर बागपत रोड थाना कंकरखेडा उम्र करीब 23 वर्ष को मानकी बम्बा पुलिया पर धर्मकाँटे के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

पुछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मै अमन ओबरॉय पुत्र राजकुमार निवासी 454 महावीर जी नगर बागपत रोड थाना टी.पी. नगर जनपद मेरठ दिनांक 12.11.2024 को मोदीनगर आया था, मोदीनगर में मेरी किसी व्यक्ति से बाइक लगने को कहासुनी हो गई थी इसी बीच नितिश शर्मा निवासी सीकरी कलाँ मोदीनगर जिसका प्रोविजन स्टोर है आया ओर बाईक लगने को लेकर हुई कहासुनी के कारण मेरे साथ नितिश शर्मा ने हाथापाई कर दी गई थी। इसी हाथापाई का बदला लेने के लिए मैने अपने साथियों को ककरखेडा मेरठ मे इकठ्ठा

किया तथा हम सभी लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल से एक रॉय होकर मेरे साथ हुई हाथापाई की घटना का बदला लेने के लिए मोदीनगर आये और उक्त घटना कारित कर दी।।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

अमन ऑबराय पुत्र राजकुमार नि0 म0न0 454 महावीर जी नगर बागपत रोड थाना कंकरखेडा, उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण – 01 तमंचा .315 बोर मय 01खोखा (घटना में प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अमन आँबराय पर जनपद मेरठ में 04 अभियोग हत्या के प्रयास सहित पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 28.10.2024 को वादी अलतमस पुत्र सलीम कुरैशी निवासी म0नं0 326, मौहल्ला कुरैशियान पसौन्डा कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि रात्रि 11.00 बजे जब मै अपने घर के पास दुकान पर खड़ा था तभी मेरे पास सैफ खान, रिजबान,शहजाद, फाजिल, आबिद सभी लोग हथियार के साथ आये और मुझसे मारपीट व गाली गलौच करने लगे तथा विरोध करने पर मेरे के ऊपर पिस्टल तान दी और जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दिये जिससे मेरे पास खड़े व्यक्ति हाजी नौशाद पुत्र अब्दुल अजीज को गोली लग गयी है।
तत्काल टीमों का गठन कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों में से 01 अभियुक्त आबिद पुत्र करम इलाही निवासी मोहल्ला कुरैशियान छोटी मस्जिद के पास पसौंडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद को सिकन्दरपुर चौकी के पास यू टर्न से गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-
आबिद पुत्र करम इलाही निवासी मोहल्ला कुरैशियान छोटी मस्जिद के पास पसौंडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर हत्या के प्रयास का 01अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>

- थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।